

कार्यालय कलेक्टर (लो0से0प्र0) जिला-उज्जैन(म.प्र.)

क्रमांक/लो0से0प्र0/2019/10324


उज्जैन, दिनांक 20/08/2019.

-सूचना-

राज्य लोक सेवा अभिकरण, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक/1300/रालोसेअ/प्रशासन भोपाल द्वारा 19.08.2019 द्वारा लोक सेवा केन्द्र की निविदा में UDIN नंबर की अनिवार्यता के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों (नेटवर्थ सर्टिफिकेट) हेतु UDIN की अनिवार्यता दिनांक 01 फरवरी, 2019 से लागू है। अतः UDIN की अनिवार्यता लागू होने के दिनांक से है, पूर्व की तिथि में जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट में नहीं है।
2. लोक सेवा केन्द्रों की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 04 जून, 2019 थी, अतः उक्त तिथि के पश्चात् जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट को निविदा में शामिल नहीं किया जाए।
3. यदि निविदाकार के पास दिनांक 04 जून, 2019 से पूर्व की तिथि का नेटवर्थ सर्टिफिकेट है, जिसका UDIN निविदाकार के पास उपलब्ध है। उक्त स्थिति में उसे मान्य किया जाए।

उपरोक्त दर्शाये गए बिन्दुओं के आधार पर ऐसे सभी निविदाकार जिनके पास दिनांक 04 जून, 2019 से पूर्व की तिथि का नेटवर्थ सर्टिफिकेट है, जिसका UDIN नंबर उपलब्ध है। उक्त समस्त निविदाकारों को दिनांक 22.08.2019 तक समय सांय 05.00 बजे तक UDIN नंबर नेटवर्थ सर्टिफिकेट कार्यालय में प्रत्येक लोक सेवा केन्द्रवार सीलड बंद लिफाफे में नियत समयावधी में भिजवाना सुनिश्चित करें, समयावधी में नेटवर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने की दशा में निविदाकार को अयोग्य मानते हुए, निविदा प्रपत्र निरस्त माना जावेगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला-पंचायत,
जिला-उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20/08/2019.

पृ0क्रमांक/लो0से0गा0/2019/10324

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला-उज्जैन की ओर उक्त जानकारी जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला-पंचायत,
जिला-उज्जैन